

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 10/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 719 (अ)--केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो पुराने माल का क्रय और विक्रय करता है और जो केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 32 के उपनियम (5) के अधीन यथा-अवधारित पुराने माल की ऐसी जावक पूर्ति के मूल्य पर एकीकृत कर का संदाय करता है, जो कि ऐसे पूर्तिकार से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पुराने माल की अंतरराज्यिक पूर्तियां प्राप्त करता है, उक्त संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन उस पर उदग्रहणीय संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र कर से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

No. 10/2017-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 719 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts intra-State supplies of second hand goods received by a registered person, dealing in buying and selling of second hand goods and who pays the Union Territory Tax on the value of outward supply of such second hand goods as determined under sub-rule (5) of rule 32 of the Central Goods and Services tax Rules, 2017, from any supplier, who is not registered, from the whole of the Union Territory Tax leviable thereon under sub-section (4) of section 7 of the Union Territory Good and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

सं. 1/2017- प्रतिकर उपकर (दर)

सा.का.नि. 720 (अ)—केन्द्रीय सरकार, माल और सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिश पर, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (4) में यथा-विनिर्दिष्ट उपकर की दर को अधिसूचित करती है, जो ऐसे माल, जिनका वर्णन स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है और जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट, यथास्थिति टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते हैं, के राज्य के भीतर पूर्तियों या अंतरराज्यिक पूर्तियों पर उदग्रहित किया जाएगा।